न्यायालय :–प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) चंदेरी
जिला–अशोकनगर (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी–मानसी अग्निहोत्री)
(निर्णय दिनांक 29.01.2026)

	व्यवहार वाद क्र. 89/2023 संस्थापन दिनांक 12.08.2023 फाईलिंग नं-218/2023 सी.एन.आर. नम्बर एमपी 6706001049/2023

01. **भग्गो बाई** पत्नी छुटटा उर्फ सटुआ,
आयु–60 वर्ष,
02. **संतोष** पुत्र छुटटा अहिरवार, आयु–25 वर्ष,
निवासीगण ग्राम मोहनपुर,
तहसील चंदेरी, जिला–अशोकनगर म0प्र0।

————**वादीगण**

//**विरूद्ध**//

01. **कमला** पुत्र हल्का, आयु–65 वर्ष,
निवासी ग्राम मोहनपुर, तहसील–चंदेरी,
जिला–अशोकनगर म0प्र0।
02. **म0प्र0 शासन द्वारा जिलाधीश**
जिला–अशोकनगर।

प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा :– **श्री शैलेन्द्र सुमन अधिवक्ता।**
प्रतिवादीगण क0–01 द्वारा :– **श्री रमेश श्रीवास्तव अधिवक्ता।**
प्रतिवादी क्रमांक–02 :– **पूर्व से एकपक्षीय।**

।। निर्णय ।।

01. वादीगण के द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम किर्राया, तहसील–चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक–87/5 रकबा 1.743 हैक्टेयर (जिसे निर्णय के आगामी चरणों में वादग्रस्त भवन के नाम से संबोधित किया जावेगा) की स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं कब्जा दिलाये जाने बाबत पेश किया है।

02. वादी की ओर से प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि वादी क्रमांक–01 के पति तथा वादी क्रमांक–02 के पिता छुटटा उर्फ सटुआ को शासन द्वारा पटटे पर प्रदान की गयी थी तथा उक्त भूमि पर अपने जीवनकाल में छुटटा पुत्र हल्का अहिरवार काबिज होकर कृषि कास्त फसल लाभ उठाता रहा तथा वादी क्रमांक–1 पति व 02 के पिता छुटटा पुत्र हल्का की मृत्यु दिनांक 10.11.2019 को हो गई, तब से उपरोक्त भूमि पर वादीगण कृषि कार्य कर फसल लाठ उठाते चले आ रहे हैं। राजस्व दस्तावेजों में पटवारियों द्वारा त्रृटिवश कई बार छुटटा पुत्र हल्का के स्थान पर छुटटा पुत्र कमला अंकित कर दिया गया है, जबकि उपरोक्त भूमि छुटटा पुत्र हल्का जिसे घर वाले सटुआ के नाम से भी पुकारते थे को शासन द्वारा पटटे पर प्रदान की गयी थी।

03. वादी द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि कमला का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक–01 ने राजस्व दस्तावेजों में गलत रूप से अंकित करा लिया, जिसकी जानकारी वादिया को छुटटा की मृत्यु के उपरांत जब फौती नामांतरण कराने के माध्यम से प्राप्त हुई तो वादिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वादिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप वादीगण द्वारा यह वाद स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं कब्जा वापस करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

04. वादीगण की ओर अपने दावे को सिद्ध करने हेतु कुल–03 साक्षी के कथन लेखबद्ध कराये गये है, जो इस प्रकार हैः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (वादी, वादी साक्षी, दस्तावेज लेखक/अनुप्रमाणक व अन्य साक्षी)**
वा0सा0–01	भग्गो बाई	वादी साक्षी क्रमांक–01
वा0सा0–02	बंसिया	वादी साक्षी क्रमांक–02
वा0सा0–03	रमाकांत शेषा उर्फ नेपाली	वादी साक्षी क्रमांक–03

05. वादी के द्वारा वादी साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्श कराये गये है, जो इस प्रकार हैः–

क्रमांक	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
01.	प्रदर्श पी–1/वा.सा.–01	ग्राम पंचायत लपटौरा के सरपंच द्वारा दिया गया प्रमाणिकरण दिनांक 04.03.

		2024
02.	प्रदर्श पी–02 लगायत प्र0पी0–07/वा.सा.–01	राजस्व दस्तावेज
03.	प्रदर्श पी–08/वा.सा.–01	नामांतरण पंजी दिनांक 21.06.2003
04.	प्रदर्श पी–09/वा.सा.–02	जला हुआ मूल वसीयतनामा
05.	प्रदर्श पी–09–सी/वा.सा.–02	मूल वसीयतनामा की छायाप्रति

06. प्रतिवादी क्रमांक–01 की ओर से जबावदावा प्रस्तुत कर वादी की ओर से किये गये अभिवचनों का खण्डन करते हुये स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त व्यक्त किया है कि वादग्रस्त भूमि सटुआ पुत्र हल्का अहिरवार निवासी मोहनपुर को शासन द्वारा पटटे पर दी गई थी। सटुआ उर्फ छुटटा उर्फ छोटेलाल प्रतिवादी क्रमांक–01 का बडा भाई था, उसकी मृत्यु दिनांक 10.11.2019 को हो गयी है। वादीगण द्वारा सटुआ उर्फ छुटटा को वादिया क्रमांक–01 का पति तथा वादी क्रमांक–02 का पिता प्रकट किया है। वादिया ने इसी प्रकार का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें अपने को सटुआ उर्फ छुटटा की विधवा तथा निवासी ग्राम मोहनपुर प्रकट किया था तथा प्रस्तुत दस्तावेजों में वादिया ने अपना आधार प्रस्तुत किया था, जिसमें पति का नाम भज्जू एवं निवासी ग्राम लफटोरा तहसील–मुंगावली अंकित है, इस कारण वादिया का आवेदन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों में भिन्नता पाये जाने एवं आवेदन के अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण निरस्त कर दिया गया था।

07. प्रतिवादी द्वारा यह भी आपत्ति ली गयी है कि वादीगण न तो कभी ग्राम मोहनपुर में रहे और न ही कभी भी उनका भूमि पर कब्जा रहा और और न वर्तमान में है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में कोई फसल नहीं बोई। मतदाता सूची में भी वादी क्रमांक–01 के पति का नाम भज्जू अंकित है। वादीगण ने स्वयं को ग्राम मोहनपुर तहसील चंदेरी का निवासी प्रकट किया गया है, जबकि मोहनपुर में निवास से संबंधित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

08. प्रतिवादीगण पक्ष की ओर से वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्ध अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करते हुये वादी की ओर से किये गये अभिवचन एवं साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादी साक्षी के रूप में 04 साक्षी के कथन लेखबद्ध कराये हैं साक्षी इस प्रकार हैः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (वादी, वादी साक्षी, दस्तावेज**

		लेखक/अनुप्रमाणक व अन्य साक्षी)
प्र.डी.–1	कमला	प्रतिवादी साक्षी क्रमांक–01
प्र.डी.–2	अनंदी पाल	प्रतिवादी साक्षी क्रमांक–02
प्र.डी.–3	सूरता	प्रतिवादी साक्षी क्रमांक–03
प्र.डी.–4	रामप्यारी बाई	प्रतिवादी साक्षी क्रमांक–04

09. प्रतिवादीगण के द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्श कराये गये है, जो इस प्रकार हैः–

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
01	प्र0डी0–01/प्र0सा0–01	अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के प्रकरण क्रमांक–88अ–6अ/2019–20की प्रमाणित प्रतिलिपि
02	आर्टीकल–ए–1 एवं आर्टीकल–ए–2/प्र0सा0–01	वादी भग्गो बाई के आधार कार्ड की छायाप्रतियां
03	आर्टीकल–ए–3/प्र0सा0–01	ग्राम लपटोरा की मतदाता सूची

10. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचन एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण हेतु निम्नलिखित विवाद्यक बिंदू निर्मित किये गये है जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित किये जा रहे हैः–

क्रं	विवाद्यक बिंदू	निष्कर्ष
1.	क्या वादीगण ग्राम किर्राया, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 स्थित भूमि सर्वे क्रमाक 87/5 रकबा 1.743 हैक्टेयर भूमि का पटटे के आधार पर स्वामी है ?	**''नासाबित''**
2.	क्या प्रतिवादी क्रमांक–01 के द्वारा वादी के स्वामित्व में हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	**''नासाबित''**
3.	क्या वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है ?	**''नासबित''**
4.	क्या वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम पर अंकित कराने का हकदार है ?	**''नासाबित''**
5.	अन्य सहायता एंव व्यय	**निर्णय की कण्डिका क्रमांक–32 के**

		अनुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।
6.	क्या वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 01 से वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है?	**''नासाबित''**
7.	क्या वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 01 से अंतर्लाभ धन प्राप्त करने का अधिकारी है?	**''नासाबित''**

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01, 04, 06 एवं 07 का सकारण निष्कर्षः–

नोट–विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01, 04, 06 एवं 07 के संबंध में आई साक्ष्य परस्पर संबंधित होने से साक्ष्य के दोहराव एवं विवेचना की पुनरावृत्ति को निवारित करने के उद्देश्य से उक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

11. वादी साक्षी भग्गो बाई वा0सा0–01 के द्वारा अपने न्यायालीन साक्ष्य में व्यक्त किया है कि उसके पहले पति का नाम भज्जू था, जिनकी मृत्यु उसके विवाह के लगभग दस वर्ष बाद हो गयी थी। उसके दूसरे पति छुटटा उसके साथ लगभग 40–50 वर्ष तक रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गयी थी। छुटटा से उसे एक लडका वादी क्रमांक–02 संतोष का जन्म हुआ था। छुटटा की मृत्यु लगभग 5–6 वर्ष पूर्व हो गयी है। छुटटा की तेरहवी का कार्यक्रम ग्राम लपटोरा तहसील मुंगावली में उसने किया था। छुटटा के नाम से ग्राम किर्राया में आठ बीघा भूमि है। जब छुटटा जिंदा था, तब उक्त भूमि पर छुटटा खेती करता था। छुटटा की मृत्यु के बाद उक्त जमीन ने वादी भग्गो बाई ने खेती के लिये वंशिया एवं एक लोधी एवं रजनीश शेषा को ठेके पर देती थी। इसके बाद प्रतिवादी क्रमांक–02 कमला ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक–02 कमला का कब्जा है।

12. वादी भग्गो बाई के द्वारा आगे यह भी व्यक्त किया गया है कि मृतक छुटटा ने उसके नाम से वसीयतनामा किया था। उसके द्वारा ग्राम पंचायत लपटौरा के सरपंच द्वारा दिया गया प्रमाणिकरण दिनांक 04.03.2024 प्र0पी0–01, खसरा वर्ष 2019–20 प्र0पी0–02, खसरा वर्ष 2008–09 प्र0पी0–03, खसरा संवत् 2063 लगायत 2067 प्र0पी0–04 खसरा संवत् 2058 लगायत 2062 प्र0पी0–05, खसरा संवत् 2013–14 प्र0पी0–06, खसरा वर्ष 2015–16 प्र0पी0–07, नामांतरण पंजी दिनांक 21.06.2003 प्र0पी0–08, छुटटा के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रकरण में पेश किये गये हैं। उसके द्वारा प्रकरण में वसीयतनामा की नोट्री

अधिवक्ता द्वारा द्वी गयी सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में पेश की गयी है, मूल कॉपी घर में आग लगने के कारण जल जाना उसके द्वारा व्यक्त किया है।

13. वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विपरीत प्रतिवादी कमला प्र0सा0–1 ने अपने न्यायालीन साक्ष्य में व्यक्त किया है कि मृतक छुट्टा उसका बडा भाई था। वादग्रस्त भूमि ग्राम किर्राया में स्थित है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा है। वादग्रस्त भूमि पर उसका शुरू से ही कब्जा है। वह नहीं बता सकता कि छुटटा का पटटा किसके नाम पर था। वादग्रस्त भूमि उन दोनों भाईयों के नाम पर थी। वह और छुटटा साथ में ही रहते थे। छुटटा की शादी ग्राम दुर्गापुर से हुई थी। छुटटा की पत्नी की मृत्यु हो गयी है। छुटटा की कोई संतान नहीं है। वादग्रस्त भूमि में लगभग डेढ क्विंटल बीज लगता है। वादग्रस्त भूमि का कुछ हिस्सा दूसरे के पास दबा हुआ है और कुछ नहर में निकल गया है। वादग्रस्त भूमि पर रजनी शेषा एवं बंशिया ने कभी कोई खेती नहीं की। भग्गो बाई मोहनपुर में कभी नहीं रही तथा भग्गो बाई का लडका भी मोहनपुर में कभी नहीं रहा। छुटटा मोहनपुर में रहता था और आता जाता रहता था। भग्गो बाई ने उसके विरुद्ध एसडीएम कोर्ट में मुकदमा किया था, जिसमें भग्गो बाई का आवेदन खारिज कर दिया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि भग्गो बाई एवं संतोष का आधार कार्ड कहा के हैं। भग्गो बाई के आधार कार्ड में पति का नाम भज्जू लिखा हुआ था। छुटटा की पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद दूसरी शादी भग्गो बाई से नहीं हुई थी। भग्गो बाई एवं उसका लडका मोहनपुर में कभी नहीं रहे। छुटटा की मृत्यु लपटोरा में आज से लगभग चार–पांच वर्ष पूर्व हुई थी। वादग्रस्त भूमि पर छुटटा ने कभी खेती नहीं की। छुटटा की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार छुटटा के लडके ने किया था। वह छुटटा के लडके का नाम नहीं बता सकता। भग्गो बाई ने जो वसीयत पेश की है, वह गलत है। उसके द्वारा प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के प्रकरण क्रमांक–88अ–6अ/2019–20 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0–01, वादी भग्गो बाई के आधार कार्ड की छायाप्रतियां आर्टीकल–ए–1 एवं आर्टीकल ए–2, ग्राम लिपटोरा की मतदाता सूची आर्टीकल ए–3 पेश किये गये हैं।

14. प्रतिवादी साक्षी अनंदी पाल प्र0सा0–2 के द्वारा अपने न्यायालीन साक्ष्य में व्यक्त किया है कि वह मृतक छुटटा एवं कमला को जानता है एवं दोनों भाई–भाई हैं। छुटटा चलता फिरता रहता था। वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कमला का कब्जा है एवं कमला लगभग चालीस वर्ष से वादग्रस्त भूमि पर खेती कर रहा है। वादग्रस्त भूमि पर छुटटा ने कभी खेती नहीं की, कमला ही खेती करता था। वह नहीं बता सकता कि वादग्रस्त भूमि में कितना बीज लगता है। वह नहीं बता सकता कि छुटटा की पहली पत्नी कब खत्म हुई थी। वह भग्गो बाई को नहीं जानता है। भग्गो बाई की शादी छुटटा से कभी नहीं हुई। उसे इस बात की

जानकारी नहीं है कि छुटटा ग्राम लपटोरा में कभी रहा की नहीं। उसे नहीं पता कि छुटटा के बच्चे थे या नहीं। उसकी भूमि वादग्रस्त भूमि से लगी हुई है।

15. प्रतिवादी साक्षी सूरता प्र0सा0–3 के द्वारा अपने न्यायालीन साक्ष्य में व्यक्त किया है कि सुटुआ का विवाह दुर्गापुर तहसील–खनियाधाना से हुआ था। सुटुआ की पत्नी 20–25 वर्ष पहले खत्म हो गयी थी। इसके बाद सुटुआ ने दूसरी शादी नहीं की थी। वह नहीं बता सकता कि सुटुआ ने कोई दूसरी पत्नी को रख लिया था। वादग्रस्त भूमि ग्राम किर्राया में स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर कमला खेती कर रहा है। वह नहीं बता सकता कि कमला वादग्रस्त भूमि पर कब से खेती कर रहा है। उसने वादग्रस्त भूमि पर सुटुआ उर्फ छुटटा को खेती करने कभी नहीं देखा। उसने वादिया भग्गोबाई को मोहनपुर में कभी रहते नहीं देखा है। उसे वादग्रस्त भूमि का रकबा नहीं मालूम।

16. प्रतिवादी साक्षी रामप्यारी प्र0सा0–4 के द्वारा अपने न्यायालीन साक्ष्य में व्यक्त किया है कि वह प्रतिवादी कमला को जानती है। कमला का एक बडा भाई छुटटा उर्फ सुटुआ था। कमला एंव छुटआ उर्फ सुटुआ के पिता अलग–अलग थे एवं माता एक ही थी। उसकी दो बहने थी, जो खत्म हो गयी हैं एवं उसके भाई का नाम कमला है, जो उसके पास रहता है। उसे नहीं पता कि छुटटा कहा रहता था। छुटटा की शादी दुर्गापुर से माया के साथ हुई थी। छुटटा की पत्नी माया की मृत्यु लगभग 20–25 वर्ष हो गये हैं। छुटटा ने अपनी पत्नी के खत्म होने के बाद दूसरी शादी नहीं थी। उसे नहीं पता कि छुटटा कहा रहता था, फिर कहा कि मोहनपुर में नहीं रहता था। वादग्रस्त भूमि शुरू से ही कमला जोतता है। वादग्रस्त भूमि पर कमला के अलावा किसी ने खेती नहीं की।

17. इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन करने पर यह तथ्य उपदर्शित होते हैं कि वादी द्वारा सारतः यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का पट्टा पूर्व में उसके दूसरे पति छुट्टा उर्फ सुटुआ को म0प्र0 शासन द्वारा प्रदान किया गया था तथा छुट्टा के द्वारा वादग्रस्त भूमि का वसीयतनामा संपादित कर वादीगण को प्रदान किया जाना व्यक्त किया है। इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि वादी के स्वत्व व आधिपत्य की होने से इंकार कर उक्त संबंध में वादी द्वारा किए हुए कथनों का विरोध किया है। वादी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में मूल वसीयतनामा प्र.पी.–9 जला हुआ, जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.–9सी प्रकरण में प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त संबंध में वादीगण को प्रश्नगत वसीयतनामा प्रमाणित करना होगा, तभी वे वसीयत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

18. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वसीयत के मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 से धारा 73 तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुये वसीयत को सिद्ध

करना होता है। धारा–63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी वसीयत को निम्नलिखित रूप से निष्पादित किया जावेगाः–

क– वसीयतकर्ता विल पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अपना चिन्ह लगायेगा या उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश अनुसार हस्ताक्षर किया जायेगा।

ख– वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिन्ह या उसके लिये गये हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ऐसे किये जायेगें या लगाये जायेगें कि उससे यह प्रकट हो कि उसके द्वारा लेख को विल के रूप में प्रभावी करने का आशय था।

ग– विल को ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा, जिसमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को विल पर हस्ताक्षर करते हुये या चिन्ह लगायत हुये देखा है या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को विल पर हस्ताक्षर करते हुये देखा है या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिन्ह या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यैक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है और प्रत्येक साक्षी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में विल पर हस्ताक्षर करेंगा किंतु यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक साक्षी एक ही समय पर उपिस्थत हो और अनुप्रमाणन का कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं होगा।

19. प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत वसीयतनामा प्र0पी.–09सी प्रस्तुत की गयी है। न्याय दृष्टांत **श्रीदेवी व अन्य विरुद्ध जयराजा शेटटी एवं अन्य, 2005 (2), एस0सी0सी0–784** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि ''The onus of proof of the will is on propounder.''अर्थात किसी भी वसीयत को साबित करने का भार उसी पक्ष पर होगा जो वसीयत को प्रस्तावित/प्रस्तुत करता है। हस्तगत मामले में इस तथ्य का सिद्धी भार कि वादग्रस्त संपत्ति वादीगण को वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई है, वादीगण पर है।

20. वसीयत को साबित करने हेतु किस प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **''Janki Narayan Bhoir v. Naryan Namdeo Kadam AIR 2003 SC 761"** में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैः–''on a combined reading of Section 63 of the Succession Act with Section 68 of the Evidence Act, it appears that a person propounding the will has got to prove that the will was duly and validy executed. That cannot be done by simply

proving that the signature on the Will was that of the testastor but must also prove that attestations were also made properly as required by Clause (c) of Section 63 of the Succession Act. It is true that section 68 of Evidence act does not say that both or all the attesting witness must be examined. But at least one attesting witness has to be called for proving due execution of the will as envisaged-in Section 63. But what is significant and to be noted is that one attesting witness examined should be in a position to prove the execution of a will. To put in other words, of one attesting witness can prove the execution of the will in terms of Clause (c) of section 63 viz. attestation by two attesting witness in the manner contemplated there in the examination of other attention witness in the manner contemplated there in the examination of other attesting witness can be dispensed with. The one attesting witness examined, in the evidence has to satisfy the attestation of a will by him and the other attesting witness in order to prove there was due execution of the will if the attesting witness examined besides his attestation does not in this evidence, satisfy the requirements of attestation of the Will by other witness also it falls short of attestation of the will by other witness also it falls short of attestation of will at least by two witness for the simple reason that the execution of the Will does not merely mean the signing of it by the testator but it means fulfilling and proof of all the formalities required under Section 63 the Succession Act. उपरोक्त वैधाानिक स्थिति के प्रकाश में वसीयतनामा की वैधानिकता पर विचार किया जाना अनिवार्य है।

21. इस तरह माननीय उच्चतम न्ययालय के उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में एंव भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 से धारा 73 एंव भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के आलोक में वसीयत को सिद्व करने की विधि सामान्यतः अन्य दस्तावेजों को सिद्व करने से भिन्न नहीं है परंतु भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत वसीयत के मामले विशेष अनुप्रमाणन की है न केवल वसीयत करने वाले के स्वस्थ मस्तिष्क बल्कि

दस्तावेज वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत उसकी स्वेच्छया द्वारा बिना किसी अन्य दबाव के स्थापित करना होगा। वसीयत में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर महत्वपूर्ण है जिसे सिद्व करना आपेक्षित है तथा यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणन साक्षी उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो।

22. वर्तमान प्रकरण में मृतक छुट्टा उर्फ सटुआ द्वारा वादीगण भग्गोबाई एवं संतोष के पक्ष में निष्पादित वसीयत प्र.पी.–9सी को प्रमाणित करने के लिये वादीगण द्वारा वसीयतनामा प्र.पी.–9सी के दस्तावेज के अनुप्रमाणन साक्षी बंसिया वा0सा0–02 एवं रमाकांत वा0सा0–03 की साक्ष्य प्रस्तुत करायी है। बंसिया वा0सा0–2 द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के द्वारा व्यक्त किया गया है कि वह छुटटा उर्फ सटुआ को जानता था। छुटटा उर्फ सटुआ की मृत्यु लगभग 4–5 वर्ष पूर्व ग्राम लपटौरा तहसील बहादुरपुर में हुई थी। भग्गो बाई उसकी चाची है, जो छुटटा उर्फ सटुआ की पत्नी है। छुटटा उर्फ सटुआ ग्राम लपटौरा में लगभग 30–35 वर्ष से वादिया के साथ निवास कर रहे थे तथा उनकी एक संतान संतोष है। छुटटा उर्फ सटुआ की जमीन ग्राम किर्राया में है, जो करीब साडे नौ बीघा है। छुटटा उर्फ सटुआ अपनी जमीन ठेके से एक पाल, उसे एवं रजनी शेषा को दी गयी थी। उसने तीन साल तक ठेके से करीब दो साल पहले उक्त जमीन पर नब्बे हजार रुपये में ली थी। छुटटा उर्फ सटुआ की मृत्यु के बाद भग्गो बाई ने उसे उक्त जमीन ठेके पर दी थी। उक्त जमीन पर कमला इसी वर्ष से खेती कर रहा है। वादग्रस्त भूमि छुटटा उर्फ सटुआ की भूमि है। वसीयतनामा मुंगावली में लेखबद्व की गयी थी। वसीयतनामा प्र0पी0–09 पर उसने अंगूठा लगाया था।

23. वसीयतनामा प्र.पी.–9सी के अन्य अनुप्रमाणन साक्षी रमाकांत वा0सा0–3 द्वारा न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया गया है कि छुटटा उर्फ सटुआ, भग्गो बाई एवं संतोष अहिरवार को जानता है। छुटटा की मृत्यु हुए तीन–चार साल हो गये है। भग्गो बाई छुटटा की पत्नी है। मृतक छुटटा ने भग्गो एवं संतोष के पक्ष में वसीयत लगभग 5–6 वर्ष पूर्व लेखबद्व करायी थी। वह वसीयत लेखबद्व का दिन दिनांक नहीं बता सकता। वसीयत मुंगावली में एक कुशवाह वकील साहब से लेखबद्व करायी थी, जिनका ऑफिस तहसील के सामने है, उसने वसीयतनामा प्र0पी0–09 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर किये थे एवं वंशिया ने अंगूठा लगाया था। छुटटा ने भी अंगूठा लगाया था। वसीयत ग्राम मोहनपुर एक पांच बीघा खेत एवं ग्राम किरार्या के 8–9 बीघा खेत कि की गयी थी।

24. इस प्रकार वसीयतनामा प्र.पी.–9सी के अनुप्रमाणन साक्षीगण के द्वारा यद्यपि यह व्यक्त किया गया है कि प्र.पी.–9सी पर उनके द्वारा हस्ताक्षर

किए गए थे परंतु उक्त साक्षीगण के द्वारा अपनी साक्ष्य में यह प्रकट नहीं किया है कि उक्त साक्षीगण के द्वारा वसीयतकर्ता छुट्टा उर्फ सुटुआ के कहने पर वसीयतनामा प्र.पी.–9सी पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में यह भी प्रकट नहीं किया है कि छुट्टा उर्फ सुटुआ ने उनके सामने ही वसीयतनामा प्र.पी.–9सी पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में वसीयतनामा प्र0पी0–9सी को विधि द्वारा उपबंधित प्रावधान अनुसार साबित नहीं किया जा सका है। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक छुट्टा उर्फ सुटुआ के द्वारा वादीगण के पक्ष में वसीयतनामा प्र0पी0–9सी विधि पूर्वक निष्पादित किया गया था।

25. इसके अतिरिक्त यहां यह भी अवलोकनीय है कि वादीगण द्वारा वादपत्र में यह अभिवचन किया गया है कि छुट्टा को वादग्रस्त भूमि पट्टे पर प्रदान की गई थी। ऐसी स्थिति में यहां इस तथ्य पर विचार करना आवश्यक है कि छुट्टा को वादग्रस्त भूमि को अंतरित करने का अधिकार था अथवा नहीं। वादी के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में राजस्व दस्तावेज खसरा प्र.पी.–01 लगायत 07 एवं नामांतरण पंजी प्र.पी.–08 प्रकरण में प्रस्तुत की है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों के अनुसार वादग्रस्त भूमि छुट्टा उर्फ सुटुआ के नाम पर भूमिस्वामि की हैसियत से अहस्तांरणीय भूमि दर्ज होना दर्शित होती है। वादी द्वारा स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि छुट्टा उर्फ सुटुआ को वादग्रस्त भूमि पट्टे पर प्राप्त हुई थी। ऐसी स्थिति में यह नहीं का जा सकता कि छुट्टा उर्फ सुटुआ को वादग्रस्त भूमि अंतरित करने का अधिकार था।

26. वादी भग्गोबाई द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसके पूर्व पति भज्जू की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसने छुट्टा से शादी की थी तथा उनके एक लड़के संतोष का जन्म हुआ था। वादी भग्गोबाई द्वारा व्यक्त किया गया है कि छुट्टा की मृत्यु लगभग 05–06 वर्ष पूर्व हो गई थी। छुट्आ की तेहरवी का कार्यक्रम ग्राम लपटोरा तहसील मुंगावली में उसके द्वारा किया गया था। प्रतिवादी कमला द्वारा छुट्टा द्वारा भग्गोबाई से शादी करने के तथ्य से इंकार किया गया है। इस संबंध में प्रतिवादी कमला के न्यायालयीन कथन अवलोकनीय है, जिसमें कमला द्वारा मुख्यपरीक्षण की कंडिका 1 में व्यक्त किया गया है कि छुट्टा की कोई संतान नहीं है। इसके पश्चात् प्रतिवादी साक्षी कमला द्वारा मुख्यपरीक्षण की कंडिका कमांक 02 में व्यक्त किया गया है कि छुट्टा की मृत्यु ग्राम लपटोरा में 04–05 वर्ष पूर्व हुई थी तथा उसका अंतिम संस्कार छुट्टा के लड़के ने किया था। इस प्रकार प्रतिवादी कमला के द्वारा किए हुए कथनों से वादी भग्गोबाई के कथन की पुष्टि होती है कि छुट्टा की तेहरवी का कार्यक्रम ग्राम लपटोरा में किया गया था।

27. यद्यपि पूर्व में प्रतिवादी कमला के द्वारा व्यक्त किया गया है कि छुट्टा की कोई संतान नहीं थी परंतु उसके पश्चात् कमला के द्वारा छुट्टा के लड़के द्वारा उसका अंतिम संस्कार करना व्यक्त किया है। प्रतिवादी कमला द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में छुट्टा के लडके का नाम नहीं पता होना व्यक्त किया है। इस आधार पर प्रतिवादी कमला के न्यायालयीन कथनों विरोधाभाष होना दर्शित होता है। प्रतिवादी कमला ने यह अभिवचन किया है कि भग्गो बाई छुटटा उर्फ सटुआ की पत्नी नहीं है। इस तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादी कमला पर है। उक्त तथ्य को साबित करने के लिये प्रतिवादी कमला द्वारा अपने पक्ष समर्थन में वादी भग्गोबाई के आधार कार्ड की छायाप्रति आर्टिकल ए–1 एवं आर्टीकल–ए–2 प्रकरण में प्रस्तुत की है, जिसमें आर्टीकल–ए–1 में भग्गोबाई के पति का नाम भज्जू अहिरवार तथा आर्टीकल ए–2 में भग्गो बाई के पति का नाम सटुआ अहिरवार लेख होना दर्शित होता है। प्रतिवादी कमला द्वारा ग्राम लपटोरा की वर्ष 2022 की मतदाता सूची आर्टीकल ए–3 प्रकरण में पेश की है, जिसमें क्रमांक–268 पर भग्गो बाई के पति का नाम भज्जू लेख होना दर्शित होता है।

28. वादी द्वारा उक्त तथ्य के समर्थन में ग्राम पंचायत लपटोरा का प्रमाणिकरण प्र0पी0–01 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार भग्गो बाई को सटुआ उर्फ छुटटा की पत्नी व संतोष को छुटटा का पुत्र होना व्यक्त किया है। प्रकरण में छुटटा उर्फ सटुआ की मृत्यु दिनांक 10.11.2019 को होना दर्शित है। वादी द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में व्यक्त किया गया है कि छुटटा की तेहरवी का कार्यक्रम उसके द्वारा ग्राम लपटोरा में किया गया था। प्रतिवादी कमला के द्वारा न्यायालयीन परीक्षण में इस तथ्य की पुष्टि की है कि छुटटा की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार उसके लडके ने ग्राम लपटोरा में किया था। प्रकरण में वादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसके पूर्व पति का नाम भज्जू था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात छुटटा से उसकी शादी हुई थी। इस प्रकार प्रतिवादी वादी भग्गो बाई छुटटा की पत्नी नहीं है, के तथ्य को साबित करने में असफल रहा है।

29. वादीगण द्वारा अपने पक्ष समर्थन में शासन द्वारा छुटटा उर्फ सटुआ को वादग्रस्त भूमि के संबंध में जारी हुआ पटटा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह दर्शित हो सके कि शासन द्वारा मृतक छुट्टा को किस प्रकार का व किन शर्तों के अधीन पट्टा जारी किया गया था। उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण वसीयतनामा प्र.पी.–9सी को विधि द्वारा उपबंधित प्रावधानानुसार साबित करने में असफल रहे हैं। राजस्व दस्तावेजों में वादग्रस्त भूमि अहस्तांतरणीय भूमि होना दर्ज है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य साबित नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वामित्व की है।

30. वादग्रस्त भूमि पर जहां तक आधिपत्य का प्रश्न है वहां वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों अनुसार वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी कमला का आधिपत्य होना दर्शित होता है। वादी के द्वारा स्वयं यह व्यक्त किया गया है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का आधिपत्य है। उक्त तथ्य को समर्थन प्रतिवादी साक्षीगण के द्वारा भी किया गया है। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपना हक व अधिकार साबित करने में असफल रहे हैं। वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वामित्व की साबित होना दर्शित नहीं होता है। इस प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता कि वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 01 से वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य व अंतर्लाभ धन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 04, 06 एवं 07 का निष्कर्ष **नासाबित** के रूप में अंकित किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष :–

नोट– विचारणीय प्रश्न क्रमांक–02 एवं 03 के संबंध में आई साक्ष्य परस्पर संबंधित होने से साक्ष्य के दोहराव एवं विवेचना की पुनरावृत्ति को निवारित करने के उद्देश्य से चारों विवाद्यक प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

31. प्रकरण में वादीगण वादग्रस्त भूमि पर उसका स्वत्व व आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहें है, जब वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई स्वत्वाधिकार एवं आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं हुआ है, तब ऐसी स्थिति में वादी के वादग्रस्त भूमि बिना किसी स्वत्वाधिकार के यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादीगण के वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य में हस्तक्षेप किया गया था अथवा करने का प्रयास किया गया था। अतः विचारणीय बिंदु क्रमांक 02 व 03 का निष्कर्ष **"नासाबित"** के रूप में अंकित किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–05 का सकारण निष्कर्ष :–

सहायता एवं वादव्ययः–

32. अतः उपरोक्त विवेचना एवं वाद प्रश्न क्रमांक–01 लगायत 07 के निष्कर्षों के आधार पर वादीगण अधिसंभावनाओं की प्रबलता के आधार पर यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वादीगण वादग्रस्त भूमि ग्राम किर्राया, तहसील–चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक–87/5 रकबा 1.743 हैक्टेयर भूमि के स्वामी होकर प्रतिवादी क्रमांक 01 से वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद **खारिज** किया जाता है तथा निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है–

(1) वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम किर्राया, तहसील–चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक–87/5 रकबा 1.743 हैक्टेयर भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा, स्थाई

निषेधाज्ञा एवं रिक्त आधिपत्य वापस प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

(2) वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

(3) अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणिकरण के अधीन नियम 523 मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोडा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व निर्णय मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया। दिनांकित कर घोषित किया गया।

मानसी अग्निहोत्री
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड़
चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

मानसी अग्निहोत्री
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड़
चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

MANSI AGNIHOTRI

Digitally signed by MANSI AGNIHOTRI
Date: 2026.02.12 17:10:39 +0530